...लय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...ख्या : 116/2014

1. उमा बेवा महेन्द्र जाति धाकड निवासी सीसवाली हाल मुकाम विद्या कॉलोनी कोटा रोड बारां
2. चित्रांशु पुत्र महेन्द्र नाबा0 } जर्ये वली माता उमा बेवा महेन्द्र जाति धाकड निवासीगण
3. सिद्धिका पुत्री महेन्द्र नाबा0 } सीसवाली हाल निवासी विद्या कॉलोनी कोटा रोड बारां

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. द्रोपदी बाई बेवा राधेश्याम जाति धाकड निवासी सीसवाली
2. नाथूलाल पुत्र कान्हा जाति धाकड निवासी सीसवाली
3. बद्रीलाल पुत्र बाला प्रसाद जाति धाकड निवासी सीसवाली
4. प्रकाश पुत्र मदनलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली
5. महावीर पुत्र नाथूलाल जाति धाकड निवासी सीसवाली
6. रामचरण पुत्र नामालूम जाति धाकड निवासी सीसवाली
7. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 आरटी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री रामस्वरूप नागर

वकील प्रतिवादीगण : श्री भंवर सिंह गौड

दायरा दिनांकः 31.04.2014 निर्णय दिनांक : 23.03.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सीसवाली तह0 मांगरोल की आरांजी जमाबंदी सम्वत 2069–2072 जमाबंदी संख्या नया 408 पुराना 346 की आराजी खसरा नं0 2950 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 2958 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 2959 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5022 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 5023 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 5028 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 5031 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 5036 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 5235 रकबा 4.03 है0, खसरा नं0 5236 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5237 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 5264 रकबा 2.24 है0, खसरा नं0 5289 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 5424 रकबा 2.97 है0, खसरा नं0 5425 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5440 रकबा 0.03 है0 कुल 16 किता कुल रकबा 11.90 है0 स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी सम्बोधित किया गया है। उक्त

खातेदार कान्हा बेवा किशोर धाकड निवासी सीसवाली थे जिनका पारिवारिक सजरा है–

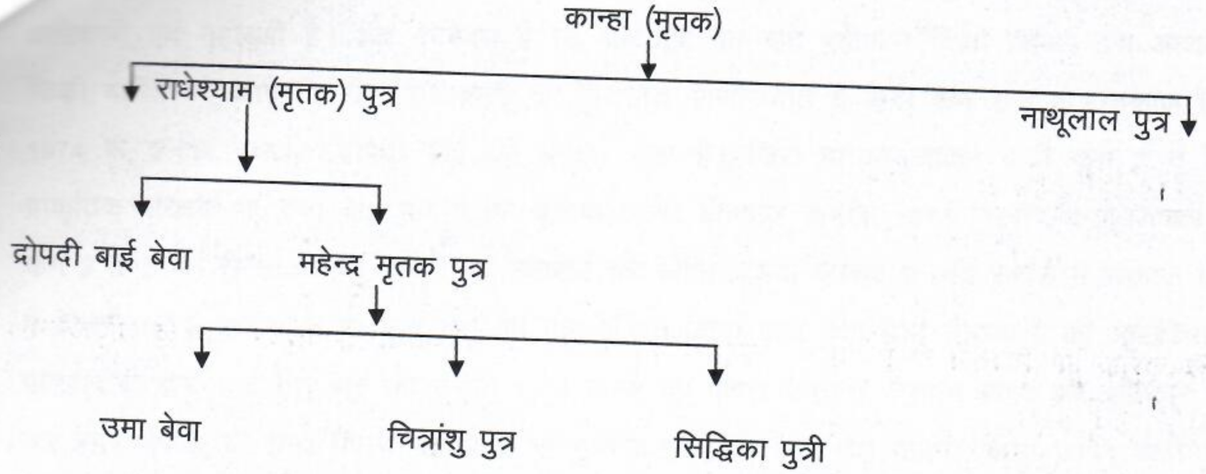

राधेश्याम के फोत होने पर 1/2 में राधेश्याम के स्थान पर उसकी बेवा द्रोपदीबाई जो प्रतिवादी कम 1 है तथा पुत्र महेन्द्र जिसका देहान्त हो चुका है तथा वादीगण उसके कायम मुकामान एवं वैधानिक वारिसान है उनके अलावा अन्य कोई वारिसान नही है। वादी कम 1 के पति व वादी कम 2 व 3 के पिता महेन्द्र का देहान्त होने पर फोती नामान्तकरण सं0 1974 दिनांक 20.06.2014 को ग्राम पंचायत सीसवाली द्वारा तस्दीक किया गया है ग्राम पंचायत सीसवाली द्वारा इन्ताकाल कमांक 1974 तस्दीक करते वक्त वादनी कम 1 को कोई सूचना नही दी गई न उसे सुना गया तथा गलत रूप से वादी कम 2 व 3 का संरक्षक प्रतिवादनी कम 1 को बनाया गया है जबकि प्राकृतिक संरक्षक की श्रेणी में पहला अधिकार माता पिता का होता है इस प्रकार पिता के फौत होने पर मां का प्रथम अधिकार बनता है तथा प्राकृति संरक्षक होने के कारण मां को ही नाबालिगान का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। फिर भी ग्राम पंचायत सीसवाली द्वारा गलत रूप से नामान्तकरण संख्या 1974 खोला जाकर नाबालिगान वादी कम 2 व 3 का संरक्षक दादी द्रोपदीबाई को बनाया गया है जबकि दादी प्राकृतिक संरक्षक की श्रेणी में नही आती है। इस प्रकार इंतकाल कमांक 1974 विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण वादीगण इन्तकाल कमांक 1974 को निरस्त कराकर नाबालिग वादी कम 2 व 3 का संरक्षक दादी द्रोपदीबाई के स्थान पर मां उमा वादनी कम 1 को नियुक्त करा पा सकने के अधिकारी एव नालिशी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधवा को सीमित अधिकार प्राप्त है इस कारण प्रतिवादीनी कम 1 द्रोपदीबाई को जो आरी उसे अपने पति राधेश्याम से विरासत मे प्राप्त हुई है उसमे केवल अपने जीवनयापन तक उपयोग व उपभोग करने के ही अधिकार है रहन बेचान या अन्य किसी भी प्रकार से मुन्तकिल करने के कोई अधिकार प्राप्त नही है। फिर भी प्रतिवादनी कम 1 अपने 1/4 हिस्से की आराजियात को खुर्द बुर्द करने के प्रयास में है।

[illegible] के विरूद्ध ग्राम सीसवाली की आराजियात में जिसका उसके राजस्व [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने और जीवनकाल तक उपयोग व उपभोग [illegible] या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल न करने हेतु पाबन्द कराने के वादीगण [illegible] है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकान किया जाकर इस आशय की [illegible] कि ग्राम सीसवाली की विवादित आराजियात में वादी कम 2 व 3 इन्तकाल कमांक [illegible] में उनका संरक्षक द्रोपदी बाई को बनाया गया है। जिसे हटाया जाकर वादी कम 2 व 3 का प्राकृतिक संरक्षक मां उमा बाई वादनी को बनाया जावे। इंतकाल कमांक 1974 निरस्त किया जाकर वादी कम 2 व 3 की संरक्षक वादी कम 1 मां उमाबाई को घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में संरक्षक के रूप में द्रोपदीबाई के स्थान पर मां उमा बाई का नाम अंकित किया जावे तथा ग्राम सीसवाली की आराजियात में प्रतिवादीनी कम 1 द्रोपदी बाई को उसके 1/4 हिस्से पर केवल उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्रदान कर रहन बैचान या अन्य किसी भी प्रकार से मृन्तकिलन किये जाने हेतु पाबन्द किया जावे। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उनके 1/4 हिस्से की आराजियात पर किसी भी प्रकार की मदालखत न प्रति0 स्वंय करने न अपने किसी प्रतिनिधी से करावें वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 31.07.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह गौड ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 ने न्यायालय में दिनांक 23.03.2015 को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात दिनांक 15.03.2017 को जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 निम्नानुसार है:-

01. वाद पत्र में वर्णित आराजी विवाद्रस्त होना स्वीकार नही है। शेष तथ्य स्वीकार है।
02. वाद पत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार है।
03. वाद पत्र की चरण संख्या 3 में राधेश्याम व महेन्द्र का मृतक होना स्वीकार है। शेष तथ्य अस्वीकार है।
04. वाद चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्यो में इन्तकाल संख्या 1974 दिनांक 20.06.2014 को खोला जाना स्वीकार है। शेष तथ्य अस्वीकार है वादनी संख्या 1 आराजी को अपने नाम करके खुर्द-बुर्द कर अन्यत्र व्यक्ति से नाता विवाह करना चाहती है। इस कारण नाबालिग वादी का सरंक्षक बाद जांच राजस्व अधिकारियों द्वारा दादी द्रोपदी बाई प्रतिवादी नं0 1 को बनाया गया है। जिसमें वादी नाबालिग के हिस्से की आराजी की खुर्द-बुर्द होने की संभावना नही है।

...5 से 9 अस्वीकार है व 10 से 11 कानूनी है एवं 12 अस्वीकार है।

...क्रम 1 ता 6 ने विशेष कथन किया कि:–

01. वादनी नं 1 का वाद में वर्णित आराजी पर कभी कब्जा नही रहा व नही कभी काश्त की 1 वादी अपने पति के देहान्त के बाद वाद में वर्णित आराजी बेचान कर खुर्द– बुर्द कर अपने बच्चो को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ नाता विवाह कर व साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। इस कारण राजस्व अधिकारयों द्वारा बाद जांच दादी द्रोपदी बाई को नाबालिग वादीगण नं0 2 व 3 का संरक्षक नियुक्त किया है।

02. यह कि विधि के प्रावधानो के अनुसार किसी भी नाबालिग का कोई भी व्यक्ति को न्यायालय व राजस्व अधिकारियों द्वारा नाबालिग के हित में व न्याय हित में संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर आद्योपन्त अवलोकन अध्ययन व मनन किया। वकील वादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर आक्षेप किया कि जवाब दावे पर अप्रार्थीगण के सत्यापन स्वरूप हस्ताक्षर नही है। वादीगण कम 1 उमा बेवा महेन्द्र जाति धाकड निवासी सीसवाली हाल मुकाम विद्या कॉलोनी कोटा रोड बारां जो वादीगण कम 2 व 3 की मां है ने दिनांक 21.02. 2018 को न्यायालय में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि मैं आजीवन दूसरी शादी नही करूंगी तथा मेरे पति से उत्पन्न बच्चा व बच्ची के सहारे समस्त जीवन व्यतीत करूंगी। जिसकी में स्वयं जिम्मेदार रहूंगी।

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं प्रदर्शो के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण कम 1 उमा बेवा महेन्द्र जाति धाकड निवासी सीसवाली हाल मुकाम विद्या कॉलोनी कोटा रोड बारां को वादीगण कम 2 चित्रांशु पुत्र महेन्द्र नाबा0 व वादीगण कम 3 सिद्धिका पुत्री महेन्द्र नाबा0 की प्राकृतिक माता होने की वजह से वादीगण कम 2 व 3 का कानूनी व वैध संरक्षक घोषित किया जाता है। एवं ग्राम पचांयत सीसवाली द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1974 खारिज किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि वादीगण कम 2 व 3 के संरक्षक दादी द्रोपदीबाई के स्थान पर मां उमा वादनी कम 1 को ग्राम सीसवाली की आराजी जमाबंदी सम्वत 2069–2072 जमाबंदी संख्या नया 408 पुराना 346 की आराजी खसरा नं0 2950 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 2958 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 2959 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5022 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 5023 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 5028 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 5031 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 5036 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 5235 रकबा 4.03 है0, खसरा नं0 5236 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5237 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 5264 रकबा 2.24 है0, खसरा नं0 5289 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 5424 रकबा 2.97 है0,

[illegible] रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5440 रकबा 0.03 है0 कुल 16 किता कुल रकबा 11.90 है0 में [illegible] क्रम 2 व 3 के हिस्से आराजी में संरक्षक का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये [illegible] साथ ही वादनी क्रम 1 व प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता [illegible] विवादित आराजी को रहन बेचान ना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible] है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया